Bio Diversity Impact Assessment Report

म0प्र0 शासन वन विभाग द्वारा धार जिले के वनमण्डल अंतर्गत 348.12 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सरदारपुर अभयारण्य के रूप में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 18 के अंतर्गत वर्ष 1983 में अधिसूचित किया गया था। इस अभयारण्य के अंतर्गत '14 ग्रामों की 348.12 वर्ग के.मी: निजी एवं शासकीय राजस्व भूमि सम्मिलित की गयी थी।

विगत दस वर्षो में देखे गये खरमोर पक्षी की जानकारी एवं दर्शित स्थलों का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि विगत 10 वर्षो से अभयारण्य में निहित 14 ग्रामों की निजी एवं शासकीय राजस्व भूमि में खरमोर पक्षी नहीं देखे गये अथवा उक्त क्षेत्र में खरमोर पक्षी नहीं आये है। जबकि सरदारपुर अभयारण्य क्षेत्र से लगे व क्षेत्र एवं वन मण्डल झाबुआ के परिक्षेत्रों में विगत वर्षो मे खरमोर पक्षी आये व देखे गये। संभवतः कृषि तकनीकी में बदले प्रयोगो के फलस्वरूप के खरमोर पक्षी के आवास स्थलों में हुए परिवर्तन के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है।

अतः अधिसूचना कमांक 2410–दस–2–83 दिनांक 04 जून 1983 (मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक जून 1983 में प्रकाशित) द्वारा 348.12 वर्ग कि.मी. अधिसूचित राजस्व ग्रामों की निजी राजस्व भूमि डि–नोर्टिाई करते है तो जैव–विविधता पर कोर्द विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अधीक्षक,
खरमोर अभयारण्य
स्रदारपुर

वन मण्डल अधिकारी,
(सा.) वन मण्डल धार